

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा सिविल

ग्राम पंचायत- मेडोल

प्रकरण संख्या:- 277/25

दिनांक:- 3-10-2025

उपखण्ड

श्री जमनालाल पुत्र  
मोमपाल जाति मीना

नाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज हल्का मेडोल भू. अ. नि. राजवाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंघ अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम मेडोल में मेडोल की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 73 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	<u>पिता का नाम</u>	<u>जमनालाल पुत्र मोमपाल</u>	<u>जमनालाल पुत्र मोमपाल</u>

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री जमनालाल पुत्र मोमपाल मीना।

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)